अध्याय - VIII

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

8.1 पेंशन योजना की अनियमित प्रस्तावना तथा धनराशि का व्ययवर्तन

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र हैदराबाद ने वित्त मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना प्रस्तावित की।

महासागर विकास विभाग, वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम ओ ई एस) ने अपने नियंत्रण के अन्तर्गत स्वायत्त संस्थानों में 1 जनवरी 2004 से पूर्व भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया, जो कि अब तक अंशदायी भविष्य निधि (सी पी एफ) योजना का अनुसरण करती थी। स्वायत्त संस्थानों को जीवन बीमा निगम (एल आई सी) अथवा किसी भी लोक क्षेत्र बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदत्त एक पेंशन योजना को चयनित करने तथा फंड अपेक्षाओं की बीमांकिंक मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया। मौजूदा सी पी एफ योजना में उपलब्ध नियोक्ता अंशदान की संपूर्ण राशि को प्रस्तावित नई योजना में समायोजित करने के पश्चात्, उपलब्ध फंड एवं अपेक्षित फंड के बीच के अंतर को पूर्ण करने के लिए फंड की समेकित आवश्यकता को एक बारगी अनुदान प्रदान हेतु वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) को बतलाना था।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केन्द्र, हैदराबाद इंकाइस) ने जनवरी 2004 से पहले तक भर्ती इंकाइस कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित लाभ योजना को चुनने हेतु एक प्रस्ताव के साथ एल आई सी से सम्पर्क स्थापित किया और एम ओ इ एस को ₹ 71 लाख का आवश्यक अंतराल कोष (अप्रैल 2007) सम्प्रेषित किया। तत्पश्चात् एम ओ इ एस ने (अगस्त 2007) अपने स्वायत्त निकायों को सूचित किया कि चूंकि सी पी एफ से परिभाषित योगदान योजना में तब्दील करने के लिए अनुमति देने में कुछ समय लग सकता है, व्यय विभाग, एम ओ एफ, अन्तराल फंड प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं था।

फिर भी इंकाइस ने 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती इंकाइस के कर्मचारियों के लिए एल आई सी की परिभाषित लाभ योजना के प्रारंभ के लिए अनुमोदन हेतु और इंकाइस द्वारा लिये गये सलाह परियोजनाओं से उत्पन्न राजस्व से अन्तराल फंड अपेक्षाओं को प्राप्त करने हेतु अपनी शासक परिषद (जी सी) को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जी सी ने (फरवरी 2008) प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन दिया पर साथ ही इसे एम ओ ई एस के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का परामर्श दिया। हांलाकि, एम ओ ई एस ने दोहराया (अगस्त 2008) कि एम ओ एफ पेंशन योजना के प्रारंभ हेतु प्रस्ताव पर सहमत नहीं था।

तत्पश्चात् एम ओ एफ (जून 2009) ने आदेश जारी किया कि केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती हुए हैं, उन्हें भी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए जारी नई पेंशन योजना (एन पी एस) में तबदील होने के लिए अनुमति प्रदान की जाए तथा निर्देश दिये कि इन कर्मचारियों को एक विकल्प दिया जाए कि या तो ये कर्मचारी मौजूदा सी पी एफ योजना में बने रहे या एन पी एस में परिवर्तित हो जायें। एम ओ एफ के निर्णय के बावजूद इंकाइस ने दोबारा परिभाषित लाभ योजना के प्रारंभ के लिए प्रस्ताव रखा (जुलाई 2009) जिसकी सिफारिश इनकी वित्त समिति द्वारा की गई तथा जी सी द्वारा अनुमोदित हुई।

इसके उपरांत इंकाइस ने (मई 2010) परिभाषित लाभ पेंशन योजना के कार्य–सम्पादन के लिए एल आई सी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया तथा योजना के प्रशासन हेतु एक इंकाइस परिभाषित पेंशन लाभ योजना (आई डी बी पी एस) ट्रस्ट की स्थापना की। मार्च 2012 तक योजना के अन्तर्गत आई डी बी पी एस ट्रस्ट में फंड उपलब्धता तथा अपेक्षाओं के बीच अंतराल को पूर्ण करने के लिए ₹ 2.47 करोड़ की राशि जमा की गई।

इस प्रकार इंकाइस ने एम ओ एफ के आदेशों के उल्लंघन में तथा अपने प्रशासकीय मंत्रालय के अनुमोदन के बिना 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती अपने स्टॉफ के लिए एल आई सी पेंशन योजना प्रारंभ की जो कि अनियमित था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ₹ 2.47 करोड़ की जमा धनराशि में से इंकाइस अधिसंरचना तथा महासागर सूचना सेवा नामक एक परियोजना के अन्तर्गत उच्च निष्पादन कम्प्यूटीकृत व्यवस्था समाधानों की उपलब्धि के लिए एम ओ इ एस से प्राप्त अनुदान पर कमायें ब्याज से ₹ 1.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

ब्याज पावतियों का विपथन, अनुदान की नियम और शर्तों का उल्लंघन था, जिसमें कहा गया था कि अनुदान से प्राप्त या कमाये ब्याज को संस्थान को एक जमा धन के बतौर समझा जाएगा और अनुदान की आगामी किश्तों के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

एम ओ इ एस ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि एम ओ एफ ने उनके आंतरिक उपचयों से अन्तराल फंड अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वायत्त निकायों द्वारा योजना के प्रारंभ पर आपत्ति नहीं किया था। एम ओ इ एस ने आगे कहा कि 1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को एन पी एस में शामिल होने संबंधी एम ओ एफ के आदेश मात्र प्रावधान को सक्रिय करने के लिए बनाए गए थे, जो कि अनिवार्य नहीं थे। अन्तराल अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुदान से ब्याज पावतियों के विपथन की लेखापरीक्षा टिप्पणी पर एम ओ इ एस ने कहा कि चूंकि इंकाइस द्वारा योजना पर बंधा खर्चे नहीं प्रभारित किये गए थे, प्राप्त फंड पर कमाए गए ब्याज को आंतरिक उत्पाद समझा गया।

इस तथ्य को ध्यान में रखकर, कि एम. ओ. एफ. के निर्देशों में या तो मौजूदा सी. पी. एफ. योजना में बने रहने या एन पी एस में जाने के स्पष्ट उपाय प्रदान किए गए थे, एम

ओ इ एस का जवाब स्वीकार योग्य नहीं है। एम ओ एफ के बताये आदेशों में अन्य पेंशन योजना के प्रारंभ की कोई गुजांइश नहीं थी।

इस प्रकार प्रशासकीय मंत्रालय के अनुमोदन के बिना तथा एम ओ एफ निर्देशों का उल्लंघन करते हुए इंकाइस द्वारा एल आई सी की पेंशन योजना के प्रारम्भ के साथ ही साथ अन्य परियोजना के लिए एम ओ इ एस से प्राप्त अनुदान पर कमाये ब्याज से ₹ 1.23 करोड़ का विपथन, अनुदान को निर्गत करने से जुड़ी नियमों और शर्तों का उल्लंघन था, जो कि अनियमित था।

(गुरवीन सिद्धू)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली
दिनाँक : **20 अगस्त 2013**

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनाँक : **21 अगस्त 2013**